


RBE No.33/2019



PCPO's Sl.No.44/2019

No. E/207/O/ECR/HJP

Dated:- 25.03.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पूमरे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
8. Sr.DPO/ पूमरे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
10. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : Amendment in various Provisions of National Pension System – regarding.

संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.D-43/12/2018-F(E)III Dated: 21.02.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(पंकज कुमार)

वकाधि/ एम.पी.पी.

कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी. एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

13883  
05/03/19

RBE No. 33/2019



GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA) E/R No. - 63/2019  
(RAILWAY BOARD)

No. D-43/12/2018-F(E)III

New Delhi, Dated : 21.02.2019

The GMs/Principal Financial Advisors,  
All Zonal Railways/Production Units,  
(As per mailing list)

Subject: Amendment in various provisions of National Pension System - regarding.  
\*\*\*\*\*

A copy of Gazette Notification No. 1/3/2016-PR dated 31<sup>st</sup> January, 2019 of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, amending the various provisions contained in their notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003 is enclosed herewith for compliance and guidance. The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance's notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003, mentioned in the notification dated 31.01.2019, has been circulated on Railways vide this office's letter No. F(E)III/2003/PN1/24 dated 31.12.2003.

14/04

*G. Priya Sudarsani*  
(G. Priya Sudarsani)  
Director, Finance (Estt.),  
Railway Board.

D.A.: as above

No. D-43/12/2018-F(E)III

New Delhi, Dated : 21.02.2019

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways),  
Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (20 spares).

CPO (IR)	Dy. CPO (CON.)	Chairman (RRC)
Dy. CPO (HQ)	SPO (GAZ)	SPO (HRD)
SPO (RP)	APD (Bills)	PS to CPO
SPO (HQ)		

*G. Priya Sudarsani*  
For Financial Commissioner/Railways.

Issue as  
Estt Rule

*[Signature]*  
CRA/SECY

PCPO  
PFA

Ch. Swi (RUL)

63/19  
P/2

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, बुधस्पातिवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940

No. 41]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

फा. सं. 1/3/2016-पीआर.—केन्द्र सरकार वित्त मंत्रालय की 22 दिसंबर, 2003 की राजपत्र अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईसीबी-पीआर के पैरा 1(i) में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को सुक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति की सिफारिशों पर सरकार के 06 दिसम्बर, 2018 के निर्णय के आधार पर उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

(1) उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 1(i) में, "कर्मचारियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला मासिक अंशदान वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) का 10% होगा और केन्द्र सरकार द्वारा उसके बराबर राशि जमा की जाएगी", को इन शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, "कर्मचारियों का मासिक अंशदान उनके वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) का 10% होगा और केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान उनके वेतन और महंगाई भत्ते का 14% होगा"।

(2) निम्नलिखित प्रावधान उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 1(v) के बाद प्रख्यापित किए जाएंगे, नामतः—

एनपीएस के टियर-1 में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न का विकल्प निम्नानुसार होगा:

(vi) पेंशन निधि का विकल्प: निजी क्षेत्र में अभिदाताओं के मामले के सदृश्य, सरकारी अभिदाताओं को भी निजी क्षेत्र पेंशन निधि सहित किसी भी पेंशन निधि का चयन करने की अनुमति दी जाए। वे वर्ष में एक बार अपने विकल्प को बदल सकते हैं। तथापि, सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधि की वर्तमान व्यवस्था मौजूदा और नये सरकारी अंशदाताओं के लिए स्वतः उपलब्ध रहेगी।

(vii) निवेश पद्धति का विकल्प: सरकारी कर्मचारियों को निवेश के निम्नलिखित विकल्प दिए जाएंगे, नामतः-

- (क) सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा योजना मौजूदा और नये सरकारी अंशदाताओं के लिए स्वतः उपलब्ध योजना के रूप में जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत, पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के तीन निधि प्रबंधकों के बीच उनके पूर्व के कार्यनिष्पादन के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं।
- (ख) वैसे सरकारी कर्मचारी जो न्यूनतम जोखिम राशि के साथ निर्धारित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं, को सरकारी प्रतिभूतियों (योजना जी) में 100% निवेश करने का विकल्प दिया जाए।
- (ग) जो सरकारी कर्मचारी उच्चतर प्रतिफल के लिए विकल्प का चयन करते हैं उन्हें जीवनचक्र पर आधारित निम्नलिखित दो योजनाओं का विकल्प दिया जाए:-
  - (क) परंपरागत जीवन चक्र निधि, जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% निर्धारित हो—(एलसी-25)
  - (ख) सामान्य जीवन चक्र निधि, जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित हो—(एलसी-50)

(viii) पुराने कॉर्पस के विकल्पों को लागू करना: सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के संबंध में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले भारी-भरकम पुराने कॉर्पस को मौजूदा पेंशन निधि प्रबंधकों से अंतरित करने का प्रभाव बाजार पर भी पड़ने की संभावना है। सरकारी अभिदाताओं को संचित निधि के संबंध में पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति को एक बारगी बदलने की अनुमति देने में पीएफआरडीए को व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः इस समय पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति में परिवर्तन की अनुमति केवल बड़ी हुई निधि के संबंध में ही दी जाए।

(ix) पुराने कॉर्पस को एक समुचित समयावधि में अंतरित करना: सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के नए विकल्पों के अनुसार पीएफआरडीए के द्वारा संचित कॉर्पस को समुचित समयावधि अर्थात् पांच वर्ष में अंतरित करने की एक योजना तैयार की जा सकती है। पीएफआरडीए द्वारा योजना तैयार किए जाने पर उक्त योजना के अनुसार संचित कॉर्पस के संबंध में पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

**वर्ष 2004-2012 के दौरान अंशदानों को जमा न करने अथवा देरी से जमा करने हेतु क्षतिपूर्ति :**

(x) उन सभी मामलों में जिनमें सरकारी कर्मचारी के वेतन में से कटौती तो कर ली गयी थी लेकिन राशि को सीआरए सिस्टम में विप्रेषित नहीं किया गया था अथवा देरी से विप्रेषित किया गया था, राशि को उस तिथि से जब कटौतियां की गयी थी से लेकर कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा होने तक की तिथि तक की अवधि के लिए जीपीएफ पर समय-समय पर यथा लागू दरों पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करते हुए ब्याज के साथ कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा किया जाए।

(xi) उन सभी मामलों जिनमें वर्ष 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि हेतु सरकारी कर्मचारी के वेतन से एनपीएस अंशदानों की कटौती नहीं की गयी थी, कर्मचारी को अंशदान अब जमा कराने का विकल्प दिया जाए। यदि वह अब अंशदान जमा करने का विकल्प चुनता है तो राशि को एकमुश्त रूप में अथवा मासिक किश्तों में जमा कराया जा सकता है। किश्त की राशि की कटौती कर्मचारी के वेतन से करके उसे एनपीएस खाते में जमा कराया जा सकता है। उपरोक्त राशि कर्मचारी के अनिवार्य अंशदानों की भांति आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर रियायतों हेतु अर्हक होगी।

(xii) उन सभी मामलों जिनमें सरकारी अंशदान सीआरए सिस्टम में विप्रेषित नहीं हुए थे अथवा देरी से विप्रेषित हुए थे (भले ही कर्मचारी अंशदानों की कटौती हुई थी अथवा नहीं), में राशि को उस तिथि जब से सरकारी अंशदान देय थे, से लेकर उस तिथि तक जब राशि कर्मचारी के एनपीएस खाते में वास्तविक रूप से जमा हुई थी, के बीच की अवधि के लिए जीपीएफ पर समय-समय पर यथा लागू दरों पर ब्याज के साथ सरकारी अंशदान को जमा किया जाए। व्यय विभाग/लेखानियंत्रक द्वारा इस संबंध में अनुदेश जारी किए जाएं। देरी के ऐसे सभी मामलों का तीन माह की अवधि में समाधान किया जाए।

2. उपर्युक्त प्रावधान 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे।

मदनेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1 में 22 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-पीआर के तहत प्रकाशित हुई थी।